

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3097**  
**दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ**

.....

**डल झील का विकास एवं सौंदर्यीकरण**

**3097. डॉ. राजीव भारद्वाज:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को अमृत योजना के अंतर्गत धर्मशाला स्थित डल झील के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु हिमाचल प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार उक्त सौंदर्यीकरण कार्य को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर पूरा करने की योजना बना रही है; और
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**(श्री राज भूषण चौधरी)**

**(क) से (घ):** जल एक राज्य का विषय है; और जल का प्रबंधन राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है। भारत सरकार योजनाबद्ध कार्यकलापों/परामर्शों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को संपूरित करती है। यह अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) जैसी विभिन्न योजनाओं/मिशनों के माध्यम से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन दिशानिर्देशों के व्यापक ढांचे के अंतर्गत परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, और कार्यान्वयन करने का अधिकार दिया गया है। सचिव, शहरी विकास की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी देने, निगरानी और पर्यवेक्षण करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करती है। एसएचपीएससी की सिफारिश पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की शीर्ष समिति मिशन दिशानिर्देशों के व्यापक ढांचे के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी देती है।

राज्य सरकार ने अमृत 2.0 के तहत हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में डल झील के विकास के लिए शीर्ष समिति के अनुमोदन हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

\*\*\*\*\*